एमपी और एएनआर राज्य,.
बनाम
श्रीमती. आभा सेठी आदि।
अप्रैल 28,1999

[माननीय एस. पी. भरुचा, बी. एन. कृपाल, एस. राजेंद्र बाबू, एस. एस. मोहम्मद कादरी और एम. बी. शाह, न्यायाधीशगण]

एम. पी. मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936:

मनोरंजन कर–राज्य/मध्य प्रदेश का कर–वीडियो पार्लर–वीडियो गेम–मनोरंजन कर के लिए उत्तरदायी–केवल तथ्य कि वीडियो पार्लर में प्रवेश करते समय भुगतान नहीं किया गया था– अप्रासंगिक; एक सिक्का डालने के बाद के चरण में किया गया भुगतान फिर भी मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश के लिए था–एक अलग स्तर पर अलग तरीके से शुल्क लिया जाना किसी भी मामले में मनोरंजन प्रदान करने के लिए था।

हैरिश विल्सन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (डब्ल्यू. पी. सं. 567/81), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत, अस्वीकृत।

गीता एंटरप्राइजेज व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य , [1983] 3 एस. सी. आर. 812 की पुष्टि की और उसका पालन किया।

स्टैण्डर्ड गेम्स और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, [1996] 4 एस. सी. सी. 467, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार– सिविल अपील सं. 4372/1984 आदि।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मिस०पिटीशन सं–570 सन 1987 के निर्णय दिनांकित 23.2.82 से

एस. के. अग्निहोत्री, श्रीमती मधुर दादलानी और सपम विश्वजीत मिसेल, अपीलार्थी।

सरवा मित्तर, मे० मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए रिट पि० सं०– 12221/85

प्रत्यर्थी की ओर से एस. के. गंभीर और आर. बी. मिश्रा (एन. पी.)।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया–

मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील कर रहा है, जिसने डब्ल्यू. पी. सं. 567/81, *हैरिश विल्सन बनाम मध्यप्रदेश राज्य* के मामले में अपने पहले के फैसले का पालन किया और यह अभिनिर्धारित किया कि वीडियो पार्लरों में स्थित वीडियो गेम मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के तहत मनोरंजन कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, इस आधार पर कि वीडियो पार्लर में किसी व्यक्ति का जो मनोरंजन करता है वह उसका अपना प्रदर्शन है न कि प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या वीडियो पार्लर के मालिक द्वारा पेश किया गया कोई खेल है। जो भुगतान किया गया था वह केवल भुगतानकर्ता को अपने स्वयं के प्रदर्शन से आनंद प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए था और यह भुगतान मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान के बराबर नहीं था।

गीता एंटरप्राइजेज व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य [1983] 3 एस. सी. आर. 812 के मामले में इस न्यायालय नें हैरिश विल्सन के मामले में दिये गये फैसले पर ध्यान दिया, और यह माना गया कि महत्वपूर्ण पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। उस फैसले में पहुंचे महत्वपूर्ण निष्कर्षों ने इस अदालत को प्रभावित नहीं किया। केवल यह तथ्य कि वीडियो पार्लर में प्रवेश के समय भुगतान नहीं किया गया था, अप्रासंगिक था; बाद के चरण में एक सिक्का

डालकर भुगतान करना,मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश के लिए ही था। एक अलग स्तर पर अलग तरीके से लिया जाने वाला शुल्क किसी भी मामले में मनोरंजन प्रदान करने के लिए था। इसलिए, हैरिश विल्सन के मामले में निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया।

जब विशेष अनुमति याचिकाएँ, जो कि इन अपीलों से उद्भूत होती हैं, सुनवाई के लिए आईं, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 5 नवंबर, 1984 को कहा कि गीता एंटरप्राइजेज के मामले में लिए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

इस न्यायालय नें गीता एंटरप्राइजेज के मामले का स्टैण्डर्ड गेम्स व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य , [1996] 4 एससीसी 467, में पालन किया। हमने गीता एंटरप्राइजेज के मामले में निर्णय पढ़ा है और, जो भी हो, हम उससे सहमत हैं। हमारी राय में इस पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।

गीता एंटरप्राइजेज के मामले का अनुपालन करते हुए, अपीलें स्वीकार की जाती है और अपील के तहत पारित आदेशों को निरस्त किया जाता है। रिट याचिकाओं पर, जिनपर उक्त आदेश पारित किये गये थे, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

टी.एन.ए.

अपीलें स्वीकार की गई।